

HARYANA GOVERNMENT  
EXICSE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 3<sup>rd</sup> April, 2007

No. S.O. 31/C.A. 74/56/S.8/2007.- In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956 (Act 74 of 1956), and in supersession of Haryana Government, Prohibition, Excise and Taxation Department, notification No. S.O. 105/C.A.74/56/S.8/2000, dated the 12<sup>th</sup> September, 2000, the Governor of Haryana being satisfied that it is necessary so to do in public interest, hereby directs that with effect from first day of April, 2007, the tax payable, in respect of sales of all vehicles manufactured and sold by Maruti Udyog Limited having its place of business in the State of Haryana, in the course of inter-State trade or commerce to any registered dealer, shall be calculated at the rate of two percentum of his turnover in so far as the turnover or any part thereof relates to such sales, subject to the production of declaration in form C as prescribed under sub-section (4) of section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956 (Central Act 74 of 1956).

L.S.M. SALINS,  
Financial Commissioner and Principal  
Secretary to Government, Haryana,  
Excise and Taxation Department.

हरियाणा सरकार  
आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 3 अप्रैल, 2007

संख्या का0 आ0 31/के0 अ0 74/56/धा0 8/2007.— केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम 74), की धारा 8 की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा हरियाणा सरकार, निषेध, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या का0 आ0 105/के0 अ0 74/56/धा0 8/2000, दिनांक 12 सितम्बर, 2000 के अधिक्रमण में, हरियाणा के राज्यपाल, इस बारे में सन्तुष्ट होने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, इसके द्वारा निर्देश करते हैं कि हरियाणा राज्य में अपने कारबार का स्थान रखने वाले मारुति उद्योग लिमिटेड द्वारा विनिर्मित तथा बेचे गए सभी वाहनों के विक्रय के संबंध में किसी पंजीकृत व्यवहारी को अन्तर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के सिलसिले में भुगतान योग्य कर, अप्रैल, 2007 के प्रथम दिन से केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम 74), की धारा 8 की उप-धारा (4) के अधीन यथाविहित प्ररूप 'ग' में घोषणा प्रस्तुत करने के अधीन रहते हुए, जहां तक आवर्त या उसका कोई भाग ऐसे विक्रयों से संबंधित है, उसके आवर्त के दो प्रतिशत की दर पर संगणित किया जायेगा।

एल0 एस0 एम0 सालिन्स,  
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,  
आबकारी तथा कराधान विभाग।